न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

R. 5064-2015

टिकट उपलब्ध नहीं है उपलब्ध होने पर चस्पा किया जावेगा।

418
21.8.15

बाबूलाल मिश्रा तनय स्व0 श्री रामप्रसाद मिश्रा, उम्र– 63 वर्ष निवासी ग्राम बरा कोपरिहन, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....*निगरानीकर्ता/आवे0*

बनाम

प्रहलाद प्रसाद मिश्रा तनय श्री रामभुवन मिश्रा निवासी ग्राम बरा, कोपरिहन, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....*गैर निगराकार/अनावेदक*

श्री ... दुबे एड के द्वारा आज दिनांक 21.9.15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं. बनकुंइया, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) के राजस्व प्र.क. 42/अ–12/2013–14 आदेश दिनांक 23.06.14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.14 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य कतई नहीं है बल्कि निरस्त किए जाने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवैधानिक रूप से तैयार हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन जो भूमि खसरा कमांक 16, 23, 24 व 26 का प्रस्तुत किया गया था जिसमें सीमांकन दिनांक 04.06.2014 को जो नापजोख हल्का पटवारी द्वारा मौके पर की जा रही थी वह अवैधानिक व गलत ढंग से अनावेदक के प्रभाव में आकर प्रारंभ की गई थी। जिस पर आवेदक द्वारा मौके पर ही आपत्ति की गई थी कि उक्त सीमांकन/नापजोख गलत ढंग से की जा रही है। स्थाई सीमाचिन्ह से पैमाइश उपरांत सीमांकन किया जाय लेकिन हल्का पटवारी द्वारा आवेदक की उक्त मौखिक आपत्ति को नजरंदाज करते हुए एवं अनावेदक

Bmishra

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R:S.064/11/15 ..... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	बाबूलाल कार्यवाही तथा आदेश प्रहलाद प्रसाद	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-15	आवेदक अधिवक्ता श्री कमलेश्वर दुबे उप० उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया।	
	आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं। आवे० द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया है।	
	निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय रा०नि० के सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 23-6-14 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पटवारी की ओर से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 4-6-14 की पुष्टि से पहले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जो उचित नहीं है सुनवाई का एवं प्रतिरक्षण का अवसर दिया जाना चाहिए था। इसी प्रकार सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 4-6-14 जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रदर्श P-1 से दर्शाया गया है के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसमें कहीं भी यह अंकित नहीं है कि किस बन्दोबस्ती स्थाई सीमा चिन्ह को मानक आधार माना गया है जहां से सीमांकन प्रारंभ किया गया हो। प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया कि आ०नं० 27 एवं 28 का भी सीमांकन मौके पर किया गया, किन्तु फील्ड बुक में उक्त सर्वे क्र. 27 एवं 28 का उल्लेख नहीं है इन तथ्यों की ओर रा०नि० द्वारा सीमांकन की	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बाबूलाल प्रमोद	

पुष्टि करते समय नहीं देखा गया। स्थल पंचनामा दिनांक 5-6-14 मे अंकित किया गया है कि आवेदित भूमियो का सीमांकन बन्दोबस्ती मेड़ तिमेड़ा को आधार मान कर सीमांकन किया गया किन्तु किन सर्वे नम्बरों के तिमेड़े को सीमांकन का मानक आधार माना गया इसका उल्लेख पंचनामा मे नहीं किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि सीमांकन कार्यवाही मे संहिता की धारा 129 मे निहित सावधानी का पालन नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 5-6-14 एवं पुष्टि आदेश दिनांक 23-6-14 विधि विरुद्ध है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रकरण तह0 को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आप स्वयं अपनी निगरानी मे आवेदित भूमियों का सीमांकन तीन माह में उभयपक्षों एवं सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति मे विधिवत बन्दोबस्ती स्थाई सीमाचिन्हों को जैसे कुआ, बंधान, सड़क, एवं ग्राम की सीमा का मुनारा आदि स्थाई बन्दोबस्ती सीमा चिन्हों को मानक आधार मान कर सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण करें। पुनः सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण होने तक सीमांकन कार्यवाही दि0 5-6-14 एवं पुष्टि आदेश दि0 23-6-14 को स्थगित किया जाता जो नवीन सीमांकन कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगी। नवीन सीमांकन आदेश होने पर यह सीमांकन कार्यवाही निरस्त मानी जावेगी।

XXXIX(a)-BR(H)-11

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R.-5064/II/15 जिला ... रीवा ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त निर्देशानुसार म० सीमांकन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र०दा० रि० हो। (सदस्य)	

[कृ. प. उ.